भारत के राजपत्र के भाग-I खंड I में प्रकाशित किया जाना है- असाधारण

फ.स. 6/05/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल जीवन तारा बिल्डिंग, 5 , संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनाक 29 मार्च, 2024

<u>जाचं शुरुआत अधिसूचना</u>

<u>मामला संख्या- एडी (ओआई) - 05/2024</u>

विषय: कतर और ईरान में उत्पन्न या निर्यात किए गए लीनियर एल्काइल बेंजीन (एलएबी) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

1. **मेसर्स तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड और मेसर्स निरमा लिमिटेड** (इसके बाद आवेदक के रूप में संदर्भित) ने समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के नियमों के अनुसार निर्दिष्टि प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें **कतर और ईरान** (इसके बाद "विषय देशो " के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए **लीनियर एल्काइल बेंजीन (एलएबी)** (इसके बाद 'संबंधित वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबंधित देशो में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और भौतिक क्षति का खतरा हो रहा है और उन्होंने संबंधित देशो से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "लीनियर एल्काइल बेंजीन" है। इसे आमतौर पर व्यावसायिक भाषा में लीनियर एल्काइल बेंजीन या एलएबी के नाम से जाना जाता है।

विचाराधीन उत्पाद में मिश्रित अल्काइल बेंजीन शामिल हैं, और **विशेष रूप से मिश्रित अल्काइल नेफ़थलीन शामिल नहीं हैं।**

4. एलएबी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5CnH2n+1 है। आमतौर पर, 'एन' 10 और 16 के बीच होता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन तरल है, और पानी में थोड़ा घुलनशील है। इसे एक ज्वलनशील रासायनिक उत्पाद माना जाता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एलएबी कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला से जुड़े बेंजीन रिंग से बने पदार्थों का मिश्रण है। इस प्रकार, विभिन्न आइसोमर संभव हैं क्योंकि बेंजीन रिंग टर्मिनल कार्बन को छोड़कर एल्काइल श्रृंखला के सभी कार्बन पर स्थित हो सकती है।

<u>माप की इकाई</u>

5. उत्पाद को आम तौर पर किलोग्राम या एमटी में वजन से मापा जाता है।

<u>उपयोग</u>

6. विचाराधीन उत्पाद एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग कपड़े धोने के डिटर्जेंट, लाइट-ड्यूटी डिशवॉशिंग तरल पदार्थ, औद्योगिक क्लीनर और घरेलू क्लीनर के उत्पादन के लिए किया जाता है।

7. एलएबी के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल केरोसीन, निकाले गए पैराफिन और बेंजीन हैं। पैराफिन को हाइड्रोबोन मोलेक्स प्रक्रिया का उपयोग करके फीडस्टॉक केरोसिन से निकाला जाता है। उच्च तापमान पर चयनात्मक डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा ये पैराफिन अपने ओलेफिन में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ओलेफिन को बेंजीन में एल्काइलेट किया जाता है, जिससे लीनियर एल्काइल बेंजीन बनता है

<u>टैरिफ वर्गीकरण</u>

8. विषय वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ की अनुसूची I के अध्याय 38 के तहत वर्गीकृत किया गया है और इसका समर्पित कोड 3817 00 11 हैं। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

सीमा शुल्क

9. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के तहत संबद्ध वस्तुओं पर 7.5% का मूल सीमा शुल्क लगता है।

ख. **समान वस्तु**

10. आवेदकों ने कहा है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और ईरान और कतर से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और विषय वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदकों द्वारा निर्मित विषय वस्तुएँ और वस्तुएँ तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा निर्मित वस्तुओं का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के लिए, प्रथम दृष्टया आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु ईरान और कतर से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. **पीसीएन पद्धति**

11. वर्तमान में, आवेदक ने किसी भी पीसीएन को अपनाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। प्रथा के अनुसार, सभी इच्छुक पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के बाद पीसीएन पद्धति पर निर्णय लिया जाएगा।

12. वर्तमान जांच में शामिल पक्ष पीयूसी पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

घ. **<u>विषय देश</u>**

13.ईरान और कतर से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए जांच शुरू करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया है।

ङ. **<u>जांच की अवधि</u>**

14. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023(12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल है।

च. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

15. आवेदन तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड और निरमा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिका में दी गई जानकारी के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) भारत में लीनियर अल्काइल बेंजीन का उत्पादन करने वाले अन्य उत्पादक हैं।

16. याचिका में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया तथ्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए, आवेदक पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 5 (3) के साथ पढ़े गए नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है।

छ. <u>कथित पाटन का आधार</u>

क. ईरान और कतर के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदकों ने कहा है कि उनके पास ईरान और कतर में घरेलू बिक्री मूल्यों तक पहुंच नहीं थी और वे लेन-देन की कीमतों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ थे, जिस पर ईरान से तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा, आवेदकों ने ट्रेड मैप से ईरान से निर्यात और आयात से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ईरान और कतर अपने निर्यात या आयात डेटा प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों के लिए उचित रूप से समायोजित उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है

ख. निर्यात मूल्य

18. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात मूल्य की गणना डीजीसीआई & एस लेनदेन-वार आयात डेटा के आधार पर की गई है। उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है कि कीमतों को पूर्व-कारखाना स्तर पर बनाया जाए ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

ग. <u>पाटन मार्जिन</u>

19. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

ञ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में सबूत प्रस्तुत किए हैं, जो पूर्ण रूप से पाटित किए गए आयात की बढ़ी हुई मात्रा और भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, मूल्य कटौती, मूल्य कम बिक्री और मूल्य दमन और घरेलू उद्योग पर निराशाजनक प्रभाव के रूप में हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक मूल्य पर विचाराधीन उत्पादों के आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर रिटर्न, इन्वेंट्री के संचय और क्षमता उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

ट. **पाटन रोधी जांच की शुरुआत**

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस तरह के कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरू करता है, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ठ. <u>प्रक्रिया</u>

22. उक्त नियमों के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ट. <u>जानकारी प्रस्तुत करना</u>

23. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते- **adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in** और **dd12-dgtr@gov.in** पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक

भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हो।

24. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासो के माध्यम से विषय देशों की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो संबंधित वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।

25. वर्तमान जांच में भाग लेने के इच्छुक कोई भी पक्ष इस जांच की शुरूआत अधिसूचना के प्रकाशन के 40 दिनों के भीतर या प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई विस्तारित अवधि के भीतर नामित प्राधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत कर सकता है। इच्छुक पार्टी के रूप में पंजीकरण के लिए बाद के चरण में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राधिकारी ऐसे अनुरोध के आधार पर अनुरोध की जांच करेगा और उचित समझकर उस पर विचार करेगा।

26. कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से जांच के लिए प्रासंगिक अपनी प्रस्तुतियाँ कर सकती है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. इच्छुक पार्टियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय (https://www.dgtr.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें ताकि जानकारी के साथ-साथ संबंधित जाँच पड़ताल में आगे की प्रक्रियाओं से अपडेट और अवगत रहें।

ठ. <u>समय सीमा</u>

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित ईमेल पतों adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए या नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना

अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

29. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

ङ. <u>गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना</u>

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7 (2) के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता प्रतिक्रिया / प्रस्तुतियों की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

32. गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

33. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त हो जाती है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश संभव नहीं है, और कारणों का एक बयान कि सारांश क्यू संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

34. इच्छुक पक्ष प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

36. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या अच्छे कारण विवरण के बिना किए गए किसी भी निवेदन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ढ. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ण. <u>असहयोग</u>

38. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसा कि उचित लगता है।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी